राजस्थान सरकार
हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान
H.C.M. Rajasthan State Institute of Public Administration
Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur-302 017 ❑ Rajasthan ❑ India

क्रमांक : F11(15)/RIPA/Exam/Dept./Evaluation/2024/ 14433 दिनांक : 05/11/2024

कार्यालय–आदेश

संस्थान रीपा, जयपुर द्वारा दिनांक 11.11.2024 से 14.11.2024 की अवधि में आयोजित की जाने वाली मूल्यांकन विभाग के जिला मूल्यांकन अधिकारियों की विभागीय परीक्षा में निम्न अधिकारियों को बैठने की अनुमति प्रदान की जाती है एवं परीक्षा के रोल नम्बर निम्नानुसार जारी किये जाते हैं :–

रोल नम्बर	परीक्षार्थी का नाम	पता
01	अनिल कुमार पालीवाल	E-704, वैशाली नगर, जयपुर, (राज.)–302021
02	दिनेश कुमार	C-322, महेश नगर, जयपुर, (राज.)–302015
03	महावीर भाम्भू	Room No.-1, Old RPSC Building, Divisional Evaluation Office, Ajmer (Raj.)-305001
04	निधि गौत्तम	मूल्यांकन विभाग, योजना भवन, सी–ब्लॉक, द्वितीय तल, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर (राज.)–302005
05	पवन कुमार मीना	कमरा नं. 8,9, संभागीय आयुक्त कार्यालय परिसर, भरतपुर (राज.)–321001
06	रोहित कुमार शर्मा	सरस्वती विद्या विहार स्कूल के सामने, इन्द्रा कॉलोनी, चौमू, जयपुर (राज.)–303702
07	सुमन गुप्ता	मूल्यांकन विभाग, योजना भवन, द्वितीय तल, तिलक मार्ग, जयपुर (राज.)–302005
08	सुनील कुमार सैनी	वार्ड नं. 22, तारानगर, चूरू (राज.)–331304

परीक्षा कार्यक्रम

दिनांक	समय	प्रश्न पत्र	प्रश्न पत्र विषय
11.11.2024	प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 01:30 बजे तक	पहला	आयोजना और विकास
12.11.2024	प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 01:30 बजे तक	दूसरा	मूल्यांकन
13.11.2024	प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 01:30 बजे तक	तीसरा	सेवा एवं वित्त नियम
14.11.2024	प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 01:30 बजे तक	चौथा	हिन्दी

परीक्षा स्थल/केन्द्र : बुद्धि/पी.17, पटेल भवन, एच.सी.एम. रीपा, जयपुर।

परीक्षार्थियों हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश :–

1 प्रत्येक परीक्षार्थी को परीक्षा–कक्ष में परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पूर्व प्रवेश दिया जायेगा।
2 परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी को मोबाईल फोन ले जाने की अनुमति नही होगी।
3 Bare Act/Manual के अतिरिक्त अन्य कोई अनुचित सामग्री परीक्षा–कक्ष में अनुमत नहीं होगी।
4 व्याख्याओं सहित अधिनियमों, मोनोग्राफ एवं नियमावलियों से सम्बन्धित प्रतियाँ परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
5 परीक्षार्थी द्वारा किसी लिखित, अभिलिखित, प्रतिलिपि या मुद्रित सामग्री से, अप्राधिकृत सहायता लेना या किसी अप्राधिकृत इलेक्ट्रोनिक या यांत्रिक उपकरण या गैजेट का उपयोग वर्जित है तथा दण्डनीय है। परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाईल व बैग वर्जित है।
6 परीक्षा कक्ष में धूम्रपान, मद्यपान चाय व पान आदि का प्रयोग अनुमत नही है।
7 परीक्षा–कक्ष में बैठने के दौरान परीक्षार्थियों के बीच उचित दूरी बनाए रखनी होगी।

निरन्तर/Contd....

8 परीक्षार्थी परीक्षा भवन में अपना स्थान ग्रहण करने के साथ ही अपनी जेब, डेस्क, आस पास के स्थान को भली भांति देख ले कि वहाँ कोई पुस्तक, पर्चा, अथवा अन्य किसी प्रकार की अवांछित सामग्री तो नहीं रखी है। यदि आस पास ऐसी कोई सामग्री है तो वह परीक्षा निरीक्षक को सूचित करें अन्यथा इस संबंध में परीक्षार्थी स्वयं जवाबदेह होगा।

9 परीक्षार्थी परीक्षा देते समय किसी प्रकार की कोई सामग्री किसी व्यक्ति/परीक्षार्थी से न लेगा और न देगा, दूसरों के पत्रों की नकल न करेगा और न ही अपने पत्रों की नकल करने देगा। किसी प्रकार की अव्यवस्था, अनाचरण अथवा नकल करने या इनकी कोशिश करने वाले परीक्षार्थी को नियमों के अनुसार दण्डित किया जायेगा।

10 परीक्षार्थी प्रत्येक विषय की परीक्षा के समय उपस्थिति पत्रक में पूर्ण इन्द्राज कर अपने हस्ताक्षर करें।

11 परीक्षा–कक्ष छोडने से पूर्व परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका परीक्षा निरीक्षक को सम्भला दें, तत्पश्चात परीक्षा निरीक्षक से अनुमति लेकर ही परीक्षा कक्ष छोड़े।

12 संस्थान द्वारा नियुक्त परीक्षा अधीक्षक/निरीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों को अनिवार्यतः पालन करना होगा, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरूद्ध संस्थान जो भी उचित समझे, कार्यवाही कर सकता है तथा राजस्थान सिविल सेवा (विभागीय परीक्षा) नियम, 1959 के नियम 15 के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।

(डॉ. मीनाक्षी खंगारोत)
एसोसिएट प्रोफेसर (समाजशास्त्र) एवं
प्रभारी अधिकारी (परीक्षा)

क्रमांक : F11(15)/RIPA/Exam/Dept./Evaluation/2024/ 14434-48 दिनांक : 05/11/2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, मूल्यांकन विभाग, राजस्थान, योजना भवन, सी–ब्लॉक, द्वितीय तल, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर को प्रति भेजकर निवेदन है कि कृपया उक्त परीक्षा कार्यक्रम से संबंधित अभ्यर्थियों को अपने स्तर पर भी अवगत कराने का श्रम करावें।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, महानिदेशक महोदय, एच.सी.एम. रीपा, जयपुर।
3. उप निदेशक (प्रशासन), एच. सी. एम. रीपा, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि कृपया उक्त परीक्षा अवधि में परीक्षार्थियों को परीक्षा–कक्ष में पानी पिलाने व अन्य कार्य हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की व्यवस्था कराने का श्रम करावें।
4. प्रभारी अधिकारी (आयोजना एवं प्रशिक्षण), एच.सी.एम. रीपा, जयपुर।
5. प्रभारी अधिकारी (परिसर–पटेल भवन), एच. सी. एम. रीपा, जयपुर को प्रति भेजकर लेख है कि कृपया उक्त परीक्षा अवधि में परीक्षा–कक्ष की साफ–सफाई एवं बैठने की उचित व्यवस्था कराने हेतु संबंधित कार्मिक को निर्देशित करावें।
6. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, एच. सी. एम. रीपा, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया उक्त कार्यालय आदेश को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।
7. संबंधित परीक्षार्थी सर्वश्री.. (रोल नं. 01 से 08 तक)।
8. रक्षित पत्रावली।

एसोसिएट प्रोफेसर (समाजशास्त्र) एवं
प्रभारी अधिकारी (परीक्षा)

Phone: 0141-2706556, 2715222 ❑ Fax: 0141-2705420
Email: hcmripa@rajasthan.gov.in ❑ Website: www.hcmripa.rajasthan.gov.in